न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–124/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

मामराज पुत्र दीपचन्द्र, निवासी ग्राम मेहूवाला खालसा परगना पछवादून तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून ।

बनाम

रूपराम पुत्र उदिया निवासी ग्राम मेहूवाला खालसा परगना पछवादून तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून ।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता	:	श्री विजय कुमार गुप्ता श्री राजेश प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिपक्षी	:	श्री एस0के0 सुन्दरियाल।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान अपर आयुक्त द्वारा अपील संख्या–15/2012–13 रूपराम बनाम मामराज आदि में पारित आदेश दिनांक 08–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत् हैः–

उत्तरदाता संख्या–1/वादी मामराज पुत्र दीपचन्द निवासी मेहुवाला, खालसा परगना पछवादून, जनपद देहरादून ने बावत भूमि खाता संख्या–35 खसरा नं0–697, 698, 699, 701, 702, 703, 704, 660, 663, 695, 704 एवं 705 कुल क्षेत्रफल 2. 0620 हे0 स्थित मौजा मेहूवाला खालसा परगना पछवादून तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून के 1/2 भाग में से 1/4 भाग का कुर्रे बनाने तथा स्वामी व मालिक घोषित किये जाने हेतु दिनांक 28–07–2005 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, विकासनगर के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा–229बी/176, 178 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया। विद्वान सहायक कलेक्टर विकासनगर ने वाद दर्ज कर पक्षकारों को नोटिस प्रेषित किये तथा उत्तरदातागणों द्वारा नोटिस तामीली के बावजूद प्रतिउत्तर प्रस्तुत न किये जाने के कारण दिनांक 23–11–2006 को मूल वाद में प्रतिवादी संख्या–1, 1/1,/1/2,1/3,1/5 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये तथा प्रतिवादी संख्या–1/4 को पुनः रजिस्टर्ड दर से समन जारी करने के आदेश पारित किये एवं तत्पश्चात दिनांक 10–07–2008 को प्रारम्भिक डिक्री एवं दिनांक 23–2–2009 एवं 19–03–2009 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। आदेश/डिक्री दिनांक 23–12–2009/19–03–2009 के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 ने आयुक्त न्यायालय गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि निगरानीकर्ता/वादी ने मूल वाद में उसे पक्षकार नही बनाया है जबकि उसके स्वामित्व वाली

भूमि खसरा संख्या–703ग के विरूद्ध भी वाद प्रस्तुत किया गया है। अपील के साथ उत्तरदाता संख्या–1 ने धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया कि उन्हें मूल वाद की जानकारी दिनांक 05–09–2011 को हुई है अतः अपील दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा किया जाय। अवर अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 08–09–2014 को पंजीकृत डाक से निगरानीकर्ता को नोटिस जारी किया। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 08–12–2014 को अवर अपीलीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उन्हें पंजीकृत नोटिस जो प्राप्त हुआ है उसके साथ अपील की नकल आदि प्राप्त नही हुई है अतः अपील से सम्बन्धित कागजात दिलाये जाय ताकि समुचित उत्तर दिया जाय। प्रार्थना पत्र को विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पत्रावलित किया गया एवं उसी दिन अर्थात दिनांक 08–12–2014 को अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गई तथा पक्षकारों को पुनः नोटिस भेजे जाने के निर्देश पारित किये गये। इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 08–12–2014 से वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी ज्ञाप में उल्लिखित इतिहास को ही दोहराते हुए कथन किया है कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस/सूचना नही दी गई है जिस दिन आक्षेपित आदेश पारित किया गया है उस दिन उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र अवर अपीलीय न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उन्हें जो समन/नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ है उसके साथ अपील से सम्बन्धित कागजात प्राप्त नही हुए है अतः सम्बन्धित अभिलेख दिलाये जाय ताकि समुचित उत्तर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सके। दूसरी ओर उत्तरदाता के अधिवक्ता भी इस तर्क से सहमत है कि निगरानीकर्ता को अवर अपीलीय न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सकता है परन्तु प्रकरण को शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश निर्गत किये जायं।

प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि अपील दिनांक 03–02–2012 को प्रस्तुत हुयी एवं यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत हुई। अपील के उत्तरदातागण को नोटिस भेजे गये थे। अपील की ग्राहयता के सम्बन्ध में दिनांक 26–11–2014 अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया परन्तु अपील में उत्तरदातागण सुनवाई में सम्मिलित नही हुए क्योंकि वे तब तक अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में उपस्थित नही हुए थे। तदनुसार एकपक्षीय रूप से आक्षेपित आदेश दिनांक 08–12–2014 पारित किया गया जिसमें अन्तर्गत धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तीन वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत अपील को सुनवाई के लिए ग्रहण किया गया एवं उत्तरदातागण को पुनः नोटिस भेजे जाने के आदेश हुए। दिनांक 08–12–2014 को अपील में उत्तरदाता एवं इस निगरानी में निगरानीकर्ता

की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसके द्वारा अपीलीय ज्ञाप एवं शपथपत्र एवं अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपि न मिलने के आधार पर प्रतियां दिलाये जाने की प्रार्थना की गई। स्पष्ट है कि धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलीय उत्तरदाता का पक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया क्योंकि वह तब तक अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति नही दर्ज कर पाया था। धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्णायकता युक्त होता है जिससे पूर्व ऐसे पक्ष जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं है को सुना जाना विधितः अनिवार्य है। आलोच्य प्रकरण में विपक्षी बहस की तिथि पर ही उपस्थित हुआ था अतः उसे धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर सुना नहीं गया। वैसे निगरानीकर्ता को इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में ही आक्षेपित आदेश को सुनवाई का अवसर प्रदान न किये जाने के आधार पर वापस लेने की प्रार्थना करनी चाहिए थी तथापि न्यायहित में आक्षेपित आदेश अपास्त कर निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही विधिवत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रति प्रेषण योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 08–12–2014 अपास्त कर प्रकरण निगरानीकर्ता को धारा–5 मर्यादा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान कर इसके सम्बन्ध में विधिवत आदेश पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 21–12–2016 को प्रथम अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हों। अवर न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति सहित वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हों।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **25–11–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।